



2026:AHC:17105

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 25/2026

आबिद

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- राजीव कुमार मिश्रा, संदीप सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री भगवती प्रसाद को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी आबिद, मुकदमा अपराध संख्या 233/2025, धारा 61(2), 64(1) बी.एन.एस., थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में जमानत की प्रार्थना करता है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम एफआईआर में एक अन्य सह-अभियुक्त के साथ दर्ज है। प्रार्थी पर यह आरोप है कि घटना के दिन उसने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता 40 वर्ष की विवाहित महिला है। यद्यपि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज उसके बयानों में उसने एफआईआर के आरोपों का समर्थन किया है, हालाँकि उसके चिकित्सीय परीक्षण में, जो कथित घटना के चार दिन बाद किया गया, उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। अतः चिकित्सीय साक्ष्य बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करता। यह भी कहा गया कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है और उसे दुर्भावना एवं कुत्सित उद्देश्य से झूठे एवं निराधार आरोप लगाकर फंसाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। आगे यह भी कहा गया कि प्रार्थी दिनांक 26.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में प्रार्थी के विरुद्ध बलात्कार का स्पष्ट आरोप लगाया है, जिससे अपराध में प्रार्थी की सक्रिय संलिप्तता सिद्ध होती है। प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण विचारण पूर्व अवस्था में नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

5. धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसने एफआईआर तथा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान का ही पुनरावृत्ति की है। अतः पीड़िता ने प्रार्थी एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध बलात्कार का स्पष्ट आरोप लगाया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अपराध में प्रार्थी की सक्रिय भागीदारी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति तथा मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथा यह देखते हुए कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के दोनों बयान एफआईआर के अनुरूप हैं, जिनमें प्रार्थी के विरुद्ध बलात्कार का स्पष्ट आरोप है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।

7. तदनुसार, प्रार्थी आबिद की जमानत प्रार्थना निरस्त की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

22 जनवरी, 2026

मुस्तकीम